तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/10/22	पत्रावली पेश हुई। अधि० आवेदक उपस्थित पत्रा० वास्ते बहस दिनांक 1/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1/11/22	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली आयन्दा वास्ते बहस दिनाँक 3/11/22 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर उच्चैन	
3/11/22	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली आयन्दा वास्ते प्रा० बहस दिनाँक 22/11/22 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर उच्चैन	
22/11/22	पत्रावली पेश हुई। अधि० आवेदक उपस्थित पत्रावली के आवेदक के अभिभाषक गण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया प्रा०पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक् की लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। प्रा० फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सिद्धार्थ पलानीचामी (आई.ए.एस)

वाद कमांकः— [redacted] 62/2022

रामकुमार पुत्र मंगती जाति ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

.....सायल

बनाम

1. मंगती पुत्र ख्याली जाति ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
2. लाखन पुत्र मंगती जाति ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
3. अर्पित शर्मा पुत्र त्रिलोकी नाथ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील उच्चैन

.....गैर सायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री घनश्याम धनकर एडबोकेट
2. श्री सचिन शर्मा एडबोकेट

निर्णय

दिनांकः—22/11/22

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 377/1.49, 382/0.03, 384/0.67 किता 3 कुल रकबा 2.19 बाके ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें गैर सायल संख्या 1, 1/6 हिस्से का हिस्सेदार है एवं आराजी खसरा नम्बर 383/0.55, 1005/0.04, 1122/0.08, 958/0.10, 963/0.04 बाकै ग्रमा पिचूना तहसील उच्चैन में स्थित है जिसमें गैर सायल संख्या 1, 3/11 का हिस्सेदार है। उक्त आराजी सायल की पैत्रिक आराजी है जिसमें वर्तमान में मंगती के नाम खातेदारी इन्द्राज है जो खिलाफ कानून व मौका है। चूंकि बादग्रस्त आराजी अकेले मंगती के नाम इंन्द्राज है तथा इसका नाजायज लाभ लेने के लिये मंगती व गैर सायल संख्या 2 के साथ सायल के विरूद्ध एक गिरोह बना लिया और आराजी में सायल के हिस्सा को समाप्त करने की नियत से बादग्रस्त आराजी में से कुछ आराजी का दिखावटी व कागजी वयनामा बिना प्रतिफल राशि लिये और बिना कब्जा दिये दिनांक 11.05.2022 को गैर सायल 3 अर्पित शर्मा पुत्र त्रिलोकी नाथ शर्मा के हक में निष्पादित करा दिया है जो गलत है । गैर सायल संख्या 1 की मानसिक स्थिति

Scanned with ACE Scanner

खराब है और वह हर किसी के बहकावे में आकर किसी के कहे अनुसार कार्य कर देते है। गैर सायल संख्या 1 ने दिनांक 4.6.2022 को धमकी दी है कि अब उक्त पैत्रिक जायदाद का विक्रय करेगा तथा सायल को हिस्सा नहीं देगा उक्त धमकी से व्यथित होकर सायल ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 11.10.2022 को अभिभाषक अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा परिवार की जरूरतों को पूरा करने तथा अपने परिवार के ऋण को पूरा करने के लिए आराजी का विक्रय अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में किया था जो कि पूरी तरह वैध है। इन तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय में पेश किया हैं। तथा प्रार्थी ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह साबित किया हैं कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने प्रार्थी को कभी कोई धमकी नहीं दी है। जिसके कारण प्रार्थी उनके विरूद्व अस्थाई निषेधज्ञा की दादरसी पाने का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी ने क्लीन हैण्ड से दावा हाजा पेश नहीं किया है जिसके कारण प्रार्थना पत्र हाजा इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया प्रार्थी के अभिभाषक ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि उनकी पैतृक भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का इन्द्राज कानून एवं मौका खिलाफ है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम निष्पादित किया है अप्रार्थी के अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी ने अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। चूंकि रजिस्टर्ड सेल डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको वैध माना जावे। पत्रावली शपथ पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज है एवं वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है एवं रजिस्टर्ड इकरारनामा एक वैध दस्तावेज है।

Goilisahab Haji vs. Tarachand Bapuchand, AIR 1956 Bom. 200 में यह स्पष्ट है कि:

> The party applying for injuction must be in possession

अतः प्राइमा फेसी केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में जाहिर नहीं होता। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सिद्धार्थ पलानिचामी(आई0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उदैना (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner